



78/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 307 / 28 / 76 / एक / 2018-19
सेवा में,

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-आगरा।

विषय : अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत नगरीय सुविधाएं (एस०सी०पी०) योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधायें (एस०सी०पी०) योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50147974848	IFSC Code ALLA0210126	177.099

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	एस०सी०पी० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	आगरा	एससीपी	न०५० किरावली	वार्ड नं० 01 में चन्द्रभान के घर से तेज सिंह के घर तक, रामबाबू के घर से नवल के घर तक, राजू के घर से प्यारे के प्लाट तक, मेघ सिंह के घर से नाहर सिंह के घर तक, मंगल सिंह के घर से विशम्भर के घर तक, जगवीर के घर से अशोक के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.954
2	आगरा	एससीपी	नं०० खेरागढ़	नगला उदैया में जसवन्त के घर से सियाराम के घर तक, नैपाल सिंह के घर से चौब सिंह के घर तक, मनीराम कोली के घर से पप्पू तेली के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.275
3	आगरा	एससीपी	न०पा०५० अछनेरा	मलिन बस्ती जाटवान में भरतपुर मार्ग से श्री उमेश सिंह के घर से इस्लामिया स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	36.206
4	आगरा	एससीपी	न०पा०५० फतेहपुर सीकरी	मलिन बस्ती मुडिया खेड़ा में गनी मो० से चौक, सम्मो वाली गली, कन्हैया वाली गली, चौक से वेदप्रकाश के घर तक, देवी सिंह के घर से तेज सिंह के घर तक, चौक चबूतरा से प्रेम के घर तक, चौक से रमेश के घर होते हुये महादेव मन्दिर तक, भूप सिंह	10.192



78/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	एस०सी०पी० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				वाली गली, चौपाल से अशोक के घर व चौक होते हुये निरंजन के घर तक अशोक से घर से लाखन के घर तक, ज्वाला के घर से बृज मोहन के घर तक नाली व सी०सी० का निर्माण कार्य।	
5	आगरा	एससीपी	न०नि० आगरा	नगर खतौना लोहामण्डी में दीन मोहम्मद से दलजीत सिंह के घर होते हुये मन्दिर तक, मुन्ना के घर से प्रमोद के घर होते हुये दीपक के घर तक, श्याम के घर से शिबू, कलंआ व शंकर लाल के घर होते हुये मन्दिर तक, शंकरलाल के घर से बाबूलाल व तहसीलदार के घर तक, राजेश के घर से बनवारी के घर तक, अचल के घर से धमेन्द्र के घर होते हुये पुष्पा के घर तक, पप्पू के घर से संजीवनी काम्पलेक्स तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.551
6	आगरा	एससीपी	न०नि० आगरा	मलिन बस्ती नगला गूलर का नगला गिराज में लाखन के घर से मुकुल के घर तक, मुन्ना के घर से लालराम के घर तक, रवीन्द्र के घर से सतीश के घर तक, पाचिया से दामोदर के घर तक, सुरेश माहौर के घर से कुन्दन माहौर के घर तक, अनिल के घर से भगवानदास व जसवंत के घर होते हुये रामेश के घर तक, बेनीराम वाली गली, बेनीराम के घर से दाऊ दयाल के घर तक, रामू के घर से बच्चू सिंह के घर तक व लखमी के घर से दीपू के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	14.302
7	आगरा	एससीपी	न०नि० आगरा	मलिन बस्ती आनन्द नगर वाल्मीकि बस्ती मे बब्लू के घर से पुरानी सड़क तक, मरिजद से अमान पहलवान के घर तक, महमूद के घर से भूरा के घर तक, भूरा के घर से हारून व चौद कुरैसी के घर होते हुये वीरेन्द्र के घर तक, राकेश सोनकर फिस शाप से राकेश के घर होते हुये शशी के घर तक, शशी के घर तक, सुरेश निगम व हाकित सिंह वाली गली, शशि के घर से आदिल के	15.316



राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	एस०सी०पी० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				घर तक एवं सावरा के घर से निराले के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	
8	आगरा	एससीपी	न०नि० आगरा	मलिन बस्ती गोकुलपुरा लोहामण्डी में पटवारी पान स्टोर से सत्य नारायण के घर तक, ब्रांच, पतोला वाली गली, रोशन लाल से राम यादव के घर तक, नारायण सिंह के घर से भारत के घर तक, अर्जुन वाली गली, सुरेश यादव के घर से राम स्वरूप के घर तक, सुरेश यादव के घर से शंकर लाल के घर के आगे तक, तारा चन्द्र वाली गली, चम्बू शर्मा से मोती लाल के घर होते हुये सत्य नारायण के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.245
9	आगरा	एससीपी	न०नि० आगरा	मलिन बस्ती बसन्त बिहार के उखर्रा में मेघराय से देवी मन्दिर के मन्दिर तक, सोनू के घर से हरि सिंह के घर तक, हरि सिंह के घर से मोहित के घर तक, गुड्डू यादव के घर से गोपाल के छ्जर तक, अनीता वाली गली, राधा किशन के घर से जगदीश के घर से जगदीश के घर तक, अशोक के घर से महिपाल के घर तक राजेन्द्र के घर से वृहस्पति के घर होते हुये बिजेन्द्र सिंह के घर तक व डोरी लाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	39.058
	योग				177.099

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक